वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2024-25

संस्था परिचय :–

संस्था **''ऋषि तकनीकी प्रशिक्षण समिति, भोपाल''** गरीब, पिछड़ा वर्ग, हरिजन, आदिवासी, अल्प संख्यक महिलाओं तथा बाल विकास हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्य करती आ रही है जो रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी कार्यालय, भोपाल म.प्र. से पंजीकृत है। जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/14479/2004 दिनांक 21/12/2004 है।

भवन :–

संस्था का मुख्य कार्यालय 135/ए, शिवशक्ति नगर, अर्चना गैस गौदाम के पास, चॉदवाड़ी, छोला, भोपाल 462001(म. प्र.) में स्थित है तथा अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु संस्था के पास किराये के परिसर की व्यवस्था है।

उद्देश्य :–

संस्था के गठन के मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं एवं बाल जगत में शिक्षण एवं प्रशिक्षण देकर जनहित में एड्स, कुष्ठरोग, पर्यावरण संरक्षण, नशाबंदी कार्यक्रम, पल्स पोलियो, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि पर शिविरों का आयोजन कर जनता में जागरूकता उत्पन्न करना है।

हेंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम:-

हेंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण कराक्रम में पुरुष एवं महिलाओ को जागरूक कराया जाता है एवं उन सभी को हेंडीक्राफ्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है जो हेंडीक्राफ्ट में कुछ नया सीखना चाहती है। हेंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुरुष एवं महिलाये सीखते भी है साथ ही साथ उनके बनाये हुए बैग या अन्य सामग्री मार्किट में बेकार उससे अपना जीवनयापन भी कर लेते है

आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम :-.

ग्रामीण क्षेत्र मे संस्था द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत ग्रामीणजनों को स्थानीय क्षेत्र मे सरलता पूर्वक उपलब्ध हो जाने वाले संसाधनों से नयी वस्तु का निर्माण करने के संबंध मे प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जैसे : झाडू, जरीवर्क, मूर्तिकारी, मिट्टीकारी, सिलाई वर्क, बॉस ओर जूट से निर्मित सामग्री आदि।

सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम:-

सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक टॉप रेटेड कोर्स है जो छात्रों को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रबंधन के बारे में सिखाता है। कोई स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं हैंय बीबीएए बीकॉमए एमकॉम और एमबीए फाइनेंस या बैंकिंग छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में वोकेशनल का संक्षिप्त परिचय मिलता है। कंप्यूटर के विभिन्न कोर्सेज में इसके अंतर्गत सिखाये जाते है ताकि बच्चो आने वाले टाइम के लिए खुद को तैयार करे सके।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

संस्था द्वारा गरीब, निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु एवं स्वरोजगार प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जाता है। जिसके अंतर्गत महिलाओ को खाना बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण केन्द्र मे महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ अकुशल गृहणियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल गृहणि के रूप मे तैयार किया जाता है। संस्था को केन्द्र संचालन हेतु शासन द्वारा किसी प्रकार ही सहायता प्राप्त नही हैं। संस्था के स्वयं के स्त्रोतों के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन कर रही है।

Rishi
TAKNIKI PRASHIKSHAN SAMITI

खुदरा बाज़ार प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

संस्था में उन बच्चो पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जो रिटेल सेक्टर में जाने के लिए इच्छुत होते है परन्तु सही माध्यम न मिलने के कारन वह पीछे रह जाते है। हमरै संस्था ऐसे सभी बच्चो को मार्किट की डिमांड के अनुसार ट्रेनिंग देती है और तैयार करती है ताकि वह अपना रास्ता खुद चुन सके । रिटेल सेक्टर में भोई विभीन पद होते है हर पद की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है। एजुकेशन के अकॉर्डिंग बचो को उनके सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाती है। और जॉब के लिए भोई प्रोत्साहन दिया जाता है। कम्पनीज से टाई उप करवा कर उन्हें इंटरव्यू दिलाया गया था।

कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम :- कंप्यूटर ट्रेनिंग में विभिन्न कोर्सेज होते है और कोर्सेज का चयन बच्चे खुद करते है। किस ट्रेड में उन्हें सीखना है यह गाइडेंस हमारी संथा उनकी काउन्सलिंग करके उन्हें समझती है और जिस भी कोर्स का वो चयन करते है उन्हें उसी कोर्स में सिखाया जाता है। कोर्स का टाइम भी बच्चो के अनुसार निर्धारित करा जा सकता है ताकि वो अपने इच्छा नुसार आकर कुछ नया सीखे और कुछ नया करे सके अपने भविष्य के लिए।

वीमेन – चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम: -

संस्था द्वारा गरीब, गैस पीड़ित, निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु एवं स्वरोजगार प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जाता है। जिसके अंतर्गत महिलाओं को सिलाई व कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्र मे महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ अकुशल हस्तशिल्पियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल शिल्पी के रूप मे तैयार किया जाता है। संस्था को केन्द्र संचालन हेतु शासन द्वारा किसी प्रकार ही सहायता प्राप्त नही हैं। संस्था के स्वयं के स्त्रोतों के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन कर रही है।

उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम :-

उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम में उन सभी उपभोगता को जानकारी प्रदान कराई जाती है जिनके साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ हो तो वो उसके बारे में जान सके साथ ही साथ ऐसी चीज़ो के बारे में भी जाने जिसकी उन्हें कभी किसी नयी चीज़ के बारे में दिक्कत हो। इसके साथ ही उन्हें भी अवेयर कराया जाता है जिसके साथ कभी फ्रॉड नहीं भी हुआ हो। कंस्यूमर अवेयरनेस कैम्प्स यानि की उपभोगता कल्याण कार्यक्रम में लोगो को जागरूक कराया जाता है।

कला एवं संस्कृति गतिविधि कार्यक्रम :- संस्था द्वारा संतों एवं महापुरूषों की याद मे जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जिसकें अंतर्गत संस्था द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती पर निबंध प्रतियोगिता उनके जीवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बुद्ध जयंती पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना एवं उनके जीवन का सजीव चित्रण सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, कबीर जयंती, महात्मा गांधी जयंती, नामदेव जयंती, झलकारी जयंती, गुरू घासीदास जयंती पर सांस्कृतिक एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर उनकी जयंती को मनाया गया।

महिला जागरूकता कार्यक्रम :–

संस्था द्वारा महिलाओं को जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओ को कानून, प्रजातंत्र, राजनैतिक, रोजगारोंमुंखी, शासन की योजनायें, स्वास्थ्य आदि के संबंध मे जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं ने उपस्थिति प्रदान कर कार्यक्रम आयोजन को सफल बनाया।

कार्यक्रम में यौन शोषण, कानूनी अधिकार, शासन की योजनायें के संबंध मे जागरूकता का

प्रचार–प्रसार किया गया। कार्यक्रम में स्व–सहायता समूह बनाकर रोजगार कार्यक्रम संचालित किये जाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में जागरूकता प्रसार–प्रचार हेतु प्रचार सामग्री का वितरण किया गया।

बाल विकास कार्यक्रम :–

बाल वर्ग के मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय झुग्गी बस्ती क्षेत्र के बालक एवं बालिकाओं का सर्वे किया गया। घर–घर पहुचकर सर्वे कार्यकर्ताओं ने परिवारों के बीच पहुचकर बाल विकास के संबंध मे जानकारी प्रदान की और उनके पोषण आहार, टीकाकरण एवं बाल संबंधित समस्याओं का निवारण भी किया गया। जिसके अंतर्गत उनके संतुलित आहार, भरण पोषण, बुद्धि के विकास आदि के संदर्भ मे जागरूकता प्रदान की गयी। कार्यक्रम मे स्थानीय आमजनता ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

शिक्षा विकास कार्यक्रम :—

संस्था द्वारा शिक्षा के विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत बच्चो को उनके अधिकारों के प्रति अवगत कराया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने मे बच्चो ने अधिक से अधिक संख्या मे उपस्थिति प्रदान की।

सोलर पैनल इंस्टालेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम :-

इस ट्रेनिंग में बच्चो को सोलर से अवगत कराय गया एवं सोलर पैनल लगाने के बारे में बताया गया। साथ ही साथ भविष्य में आने वाली सोलर की जॉब्स के बारे में बताया गया ताकि वो कुछ नया सीखे सोलर में उन्हें सभी टेक्निकल नॉलेज एवं कैसे इनस्टॉल करके किस तरह बिजली बनाई जाती है वो साडी चीज़े भी सिखाई गई थी।

सड़क जागरूकता कार्यक्रम :- सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। जागरुकता अभियान के माध्यम से जानकारी दी गई कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है **सड़क सुरक्षा उपायों जिनका सभी को पालन करना चाहिए**

- **सड़क सुरक्षा नियम** और कानून कहते **हैं** कि गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- सीटबेल्ट और हेलमेट पहनें।
- फुटपाथों पर संभलकर चलें और जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें।
- गति सीमा का ध्यान रखें।
- कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं।

आय–व्यय पत्रक :–

संस्था सचिव द्वारा वर्ष 2021- 22 का आय–व्यय पत्रक सभी उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाया। एवं महिलाओं को निःशुल्क रोजगारोंमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिये अधिक दान एवं चंदा एकत्र करने की बात कही।

संस्था द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्यक्रम

1. महिलाओं तथा बच्चों हेतु निःशुल्क सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मेंहदी आदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत संचालन।
2. पर्यावरण, स्वास्थ एवं नशाबंदी कार्यक्रम।
3. महिलाओं एवं बाल विकास के क्षेत्र में सफल कार्यक्रमों का आयोजन।
4. बालश्रमिक उन्मूलन कार्यक्रम।
5. युवाओं हेतु रोजगार कार्यक्रमों का आयोजन करना।
6. भारतीय संस्कृति के प्रचार–प्रसार हेतु लोक–ललित कलॉओं पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन।

अधिकार पत्र :–

संस्था के समस्त शासकीय कार्यक्रमों से पत्राचार करने एवं भारत शासन से अनुदान लेने संबंधी समस्त कार्यो के लिये सचिव को सर्वसम्मति से अधिकृत किया जाता है। इनके द्वारा संस्था के हित मे किये गयें समस्त कार्य हम सभी को सर्वमान्य रहेंगे।

सचिव